

अनुदान संख्या 59 - पुदुचेरी को अंतरण
GRANT No. 59 - TRANSFERS TO PUDUCHERRY

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving - (हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	Revenue:				
स्वीकृत—	Voted-				
मूल	Original	3268,99,00	3329,99,00	3302,36,00	-27,63,00
पूरक	Supplementary	61,00,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				27,63,00
पूंजीगत:	Capital:				
स्वीकृत—	Voted		1,00	..	-1,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				1,00

टीका और टिप्पणियां**Notes and comments**

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (₹2763.00 लाख) मार्च, 2025 में प्राप्त किए गए ₹6100.00 लाख की पूरक अनुदान का 45 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 1 प्रतिशत से भी कम थीं।

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (₹2763.00 lakhs) constituted 45 percent of the supplementary grants of ₹6100.00 lakhs obtained in March, 2025 and less than 1 percent of the total sanctioned provision.

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं:-

Savings occurred under the following major head:-

शीर्ष	Head				(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष “3602”	Major Head “3602”				
विधानमंडल वाली संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	Grant-in-aid to Union Territory Governments with Legislature				
मू.	O.	326899.00	330236.00	330236.00	..
पू.	S.	6100.00			
पु.	R.	-2763.00			

(I) “विधानमंडल वाली संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को अन्य अंतरण/अनुदान – विशेष सहायता – संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय सहायता” के अंतर्गत ₹501.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹6100.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹6601.00 लाख कर दिया गया था, तथापि, जो राष्ट्रीय कार्यकारी समिति की उप-समिति की सिफारिश पर चक्रवात ‘फेंगल’ राहत के प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण ₹2763.00 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

2. अनुदान के पूंजीगत भाग में, ₹1.00 लाख का प्रावधान एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा तथा इसे अंततः अभ्यर्पित कर दिया गया।

(I) Under “Other Transfer/Grants to union Territory Governments with Legislatures - Special Assistance - Central Assistance to Union Territories” - the original provision of ₹501.00 lakhs was augmented to ₹6601.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹6100.00 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of ₹2763.00 lakhs - due to reduction of provision for cyclone ‘Fengal’ relief, on the recommendation of the Sub - Committee of the National Executive Committee.

2. In the capital section of the grant, provision of ₹1.00 lakh remained wholly unutilized under one head and was eventually surrendered.
